न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मनसुख राम डामोर, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **24/19 (वाद)**

GCMS No. : 2019/00047

1. श्री शंकरलाल पिता वरदा जी जाति कुम्हार, आयु 56 वर्ष, निवासी बुढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्रीमती सोहनीबाई पत्नी स्व० श्री हीरालाल जी चौबीसा ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी ढूंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. लक्ष्मीलाल पिता स्व० श्री हीरालाल जी चौबीसा ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी ढूंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. मनोहरलाल पिता स्व० श्री हीरालाल जी चौबीसा ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी ढूंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. सुखलाल पिता स्व० श्री हीरालाल जी चौबीसा ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी ढूंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. रामलाल पिता स्व० श्री हीरालाल जी चौबीसा ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी ढूंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. श्यामलाल पिता स्व० श्री हीरालाल जी चौबीसा ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी ढूंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. पुरण पिता स्व० श्री हीरालाल जी चौबीसा ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी ढूँढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. चम्पाबाई पुत्री स्व० श्री हीरालाल जी पत्नी वेणीराम जी चौबीसा ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी ढूँढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. कमली पुत्री स्व० श्री हीरालाल जी पत्नी लक्ष्मीलाल जी चौबीसा ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी ढूंढिया, हाल हीता, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री जगनाथ पिता मगनीराम जी जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी ढूंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री छोगालाल पिता स्व० वीरभाण जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी ढूंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्री चुन्नीलाल पिता स्व० वीरभाण जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी ढूंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. श्रीमती जेतीबाई पत्नी स्व० वीरभाण जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी ढूंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. पटवारी, पटवार हल्का ढूंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय सनवाड़, जिला उदयपुर (राज०)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 14:03:50 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित–1. श्री रोशनलाल जोशी, अधिवक्ता।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 02.08.2024

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ढुंढिया, पटवार हल्का ढुंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) में स्थित आराजी नम्बर 214 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा उक्त वर्णित आराजी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर 1/6 हिस्सानुसार अंकित है जो 1/6 हिस्सा सम्वत् 2045 से 2048 की जमाबन्दी में खातेदार वीरभाण पिता देवजी जाट के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज था।
2. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजी के 1/6 हिस्सा कृषि भूमि के पूर्व खातेदार वीरभाण पिता देवजी जाट थे जो प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता/पति है। खातेदार वीरभाण पिता देवजी जाट ने आराजी नम्बर 214 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा कृषि भूमि में निहित अपने सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा कृषि भूमि को 2,000/– दो हजार रूपये के प्रतिफल में वादी संख्या 1 के पिता वरदा पिता कालु जी कुम्हार एवं वादी संख्या 2 से 10 के पति/पिता हीरालाल पिता दल्ला जी चौबीसा ब्राहम्ण को विक्रय कर दिया और विक्रेता वीरभाण पिता देवजी जाट ने क्रेतागण वरदा कुम्हार एवं हीरालाल चौबीसा ब्राहम्ण से विक्रय प्रतिफल की कुलिया राशि नकद प्राप्त कर उनके पक्ष में दिनांक 18.04.1984 को विक्रीत कृषि भूमि का विक्रय पत्र लिखाकर उप पंजीयक कार्यालय मावली में उसकी रजिस्ट्री करा दी तथा क्रेतागण वरदा कुम्हार एवं हीरालाल चौबीसा ब्राहम्ण को विक्रीत जमीन का मौके पर भौतिक आधिपत्य सौंप दिया तभी से इस जमीन पर पहले हम वादीगण के मौरूस क्रेतागण वरदा कुम्हार एवं हीरालाल चौबीसा ब्राहम्ण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे थे तथा उनके देहान्त के बाद हम वादीगण अपने–अपने मौरूसान द्वारा क्रय किये गये हिस्सा भूमि पर विरासत से निरन्तर लगातार कब्जा शांतिपूर्वक चला आ रहा है और आज भी हम वादीगण ही इस भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा अधिकार कभी नही रहा है। इसलिये हम वादीगण उक्त भूमि को अपने खातेदारी हक की घोषित करा अपने नाम पर राजस्व रेकर्ड में अंकित कराने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Parmar
Date: 2024.09.02 14:03:50 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि प्रतिवादी संख्या 2, 3 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पति वीरभाण पिता देवजी जाट द्वारा निष्पादित किये गये विक्रय पत्र के अनुसार हमारे मौरूसान वरदा कुम्हार एवं हीरालाल चौबीसा ब्राहम्ण अपनी क्रयसुदा 1/6 हिस्सा कृषि भूमि के एकमात्र मालिक है और उनकी क्रयसुदा कृषि भूमि पर हम वादीगण उनके वारिसान उत्तराधिरीगण होने से उस पर निरन्तर निर्वाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को भली भाँति है। परन्तु विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खुलाने की जानकारी क्रेतागण वरदा कुम्हार एवं हीरालाल चौबीसा ब्राहम्ण को नही होने से उक्त क्रयसुदा 1/6 हिस्सा भूमि विक्रेता वीरभाण पिता देवजी जाट के नाम पर ही दर्ज रह गयी और विक्रेता वीरभाण पिता देवजी जाट के मरने के बाद उक्त भूमि हमारे मौरूसान की खरीदसुदा होने की जानकारी होने के बावजूद भी उसके वारिस प्रतिवादी सं. 2, 3 पुत्र व प्रतिवादी संख्या 4 पत्नी ने राजस्व अधिकारियों से साठ गाठ एवं मिलीभगत कर जरिए विरासत अपने नाम पर दर्ज करवा दी और प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने भूमि अपने नाम पर अंकित होने का नाजायज फायदा उठाकर अवैद्य रूप से राशि प्राप्त करने एवं हमारे साथ धोखाधडी करने की नियत से एवं हेरान परेशान एवं जलील करने के आशय से उपरोक्त हमारी खरीदसुदा हिस्सा भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 को नुमाईशी दस्तावेज के जरिए पुनः विक्रय कर दिया और प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने मिलीभगत करके एवं रूपयों पैसो के बल पर उपरोक्त कूटरचित दस्तावेज के आधार पर जमीन का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत करवा दिया जिससे वर्तमान में हमारी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर अंकित हो गई है। हम वादीगण के मौरूसान द्वारा खरीदी गई हिस्सा भूमि के मुकाबले जो भी हस्तान्तरण किये गये वह स्वतः ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने उक्त नुमाईशी एवं कूटरचित दस्तावेज में जमीन का कब्जा भी प्रतिवादी संख्या 1 को सिपुर्द करना भी अंकित कर दिया। जबकि मौके पर कब्जा वक्त खरीद से हमारे मौरूसान एवं उनके देहावसान के पश्चात् हम वादीगण का निरन्तर निर्बाध रूप से अनवरत् चला आ रहा है और इनके पिता/पति द्वारा जमीन बेचने के बाद इस जमीन में इनका कोई हक हिस्सा नही रहा है। इसलिये हम वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित कुलिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 14:03:50 IST
Reason: SelfAttested

भूमि को अपनी खातेदारी हक की घोषित करा अपने नाम पर राजस्व रेकर्ड में अंकित कराने के अधिकारी है।

4. यह कि हम वादीगण हमारे मौरूसान द्वारा खरीदी गई कृषि भूमि पर वक्त खरीद से हमारे मौरूसान एवं हम वादीगण काबिज हो निरन्तर निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहे है किन्तु विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण की कार्यवाही कराने की अनभिज्ञता होने से हमारे मौरूसान अपनी खरीदसुदा जमीन को अपने नाम दर्ज नही करा सका जिससे जमीन विक्रेता वीरभाण जाट के नाम पर ही दर्ज रह गई और वीरभाण के निधनोपरान्त विरासत से प्रतिवादी सं. 2 से 4 ने रेवेन्यु एजेन्सी से साठ गाठ कर अपना नाम रेकर्ड में अंकित करवा दिया और इस गलत अंकन का नाजायज फायदा उठाने की नियत प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने आपस में मिलीभगत कर प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कूट रचित एवं नुमाईशी दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री करवा दी और प्रतिवादी संख्या 1 ने इस नुमाईशी दस्तावेज के जरिये अपने नाम पर नामान्तरकरण भी खुलवा दिया जिससे भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज हो चुकी है और प्रतिवादी संख्या 1 इस गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर हमारे मौरूसान की खरीदसुदा कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने एवं हमको जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने की धमकीयां दे रहे है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का हमारी खरीदसुदा कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार नही है। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 उक्त वादग्रस्त जमीन किसी अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, वादीगण को उनके मौरूसान द्वारा खरीदसुदा एवं कब्जेसुदा भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, बेदखल नही करे, कब्जा नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या असुविधा होने वाली नही है। स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से हम वादीगण को अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में आंका जाना असंभव होगा।

5. यह कि हम वादीगण का मजबूत प्रा[illegible] केस है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से हमारे मौरूसान एवं हम वादीगण काबिज होकर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram
Damor
Date: 2024.09.02 14:03:50 IST
Reason: SelfAttested

करते आ रहे है और प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता/पति ने स्वयं ने हमारे मौरूसान वरदा कुम्हार एवं हीरालाल चौबीसा ब्राहम्ण को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए आज से करीब 35 वर्षों पूर्व जमीन बेची है और मौके पर कब्जा सुपुर्द किया है जिस पर वक्त खरीद से हमारे मौरूसान एवं उनके देहावसान के बाद हम वादीगण अपने–अपने हिस्सेनुसार कृषि भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। ऐसी अवस्था में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का किसी प्रकार का स्वत्व अधिकार नही है। इसलिये स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या असुविधा नही होगी। बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से हम वादीगण को भारी अशोधीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयो पैसो में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी हम वादीगण के पक्ष में है।

6. हम वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 20.05. 2019 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 से 4 मौके पर आये और प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को बेचने और प्रतिवादी संख्या 1 ने हम वादीगण को जमीन खाली कर कब्जा सौंप देने की धमकी दी, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

7. अतः प्रार्थना है कि हम वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावें कि (अ) कि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि में से 1/2 हिस्सा वादी संख्या 1 के एवं 1/2 हिस्सा वादी संख्या 2 से 10 के खाते में घोषित फरमाई जाकर हम वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराया जावें एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें। (ब) कि हम वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 हम वादीगण को हमारे पिता/पति की खरीदसुदा एवं कब्जेसुदा 1/6 हिस्सा भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम अंकित हिस्सा भूमि को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करें, हम वादीगण को बेदखल नही करे, कब्जा नही क[illegible] नही करे, नुकसान नही पहुंचावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram
Damor
Date: 2024.09.02 14:03:50 IST
Reason: SelfAttested

एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 7 को पाबन्द किया जावें कि वो ताफैसला वाद उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नही करे, नामान्तरकरण नही खोले, न ही स्वीकृत करे, राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। (स) कि विकल्प में निवेदन है कि यदि दौरान दावा प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द कर देवे या हम वादीगण को बेदखल कर कब्जा कर लेवे अथवा पाया जावें तो पुनः वाद दायरी दिनांक की स्थिति रेकर्ड एवं मौके की रखाई जावें।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी सं. 5 से 7 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब दावा पेश नहीं करना चाहा। प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नहीं होने से साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई।

9. अधिवक्ता वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री लक्ष्मीलाल, पीडब्ल्यू 2 श्री शंकरलाल, पीडब्ल्यू 3 श्री करणसिंह के पेश किये। गवाह पीडब्ल्यू 2 शंकरलाल द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज नकल जमाबन्दी सम्वत् 2045–48 के खाता सं. 117 प्रदर्श 1, ग्राम ढुंढिया की नामान्तरकरण सं. 395 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता सं. 172 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 3 करवाये गये। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादग्रस्त भूमि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2045–48 की खाता सं. 117 पर दर्ज आराजी नम्बर 207, 214 किता 2 कुल रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा भूमि श्री मांगीलाल पिता गोकल 2/3, अमरचन्द, वीरभाण पिता देवजी 1/3 हिस्सा बराबर जाट सा. देह दर्ज थी। उक्त वादग्रस्त भूमि में जरिये नामान्तरकरण सं. 395 विरासत से [illegible] के बजाय छोगालाल, चुन्नीलाल पिता वीरभाण, जेती बेवा वीरभाण के [illegible] दर्ज हुई। नकल जमाबन्दी सम्वत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 14:03:50 IST
Reason: SelfAttested

2045–48 पर अंकित टिप्पणी अनुसार विक्रय का नामान्तरकरण सं. 440 दिनांक 09.06.1952 के अनुसार आराजी नम्बर 214 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि छोगालाल, चुन्नीलाल पिता वीरभाण, जेती बेवा वीरभाण 1/6 के बजाय प्रतिवादी सं. 1 जगन्नाथ के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज हुई। इस प्रकार वीरभाण के वारिसों द्वारा वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज होते ही वादग्रस्त आराजी नम्बर 214 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि में अपने नाम दर्ज 1/6 हिस्से को विक्रय कर दिया गया जबकि वादग्रस्त आराजी नम्बर 214 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 2 से 4 के पिता वीरभाण द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने 1/6 हिस्से को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.04.1984 से वादी सं. 1 के पिता वरदा पिता कालु एवं वादी सं. 2 के पति तथा वादी सं. 3 से 10 के पिता को विक्रय कर दिया था। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा नामान्तरकरण नहीं खोलने से उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 2 से 4 के पिता/पति के नाम ही दर्ज रह गई। जिससे प्रतिवादी सं. 2 से 4 के पिता/पति की मृत्यु के पश्चात् विरासत से वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 2 से 4 के नाम दर्ज हुई एवं प्रतिवादी सं. 2 से 4 द्वारा पुनः वादग्रस्त आराजीयात का द्वितीय विक्रय प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में कर दिया गया जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि के 1/6 हिस्से के खातेदार प्रथम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.04.1984 से ही वादीगण के मौरूस हो चुके थे तथा वादीगण के मौरूस के निधन के पश्चात् वादीगण 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार हो चुके थे। प्रतिवादी सं. 2 से 4 द्वारा राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटि का नाजायज लाभ उठाकर विक्रय किया गया है जो माने जाने योग्य नहीं हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि मौजा ढुंढिया पटवार हल्का ढुंढिया तह. मावली, जिला उदयपुर की नकल जमाबन्दी संवत 2069–72 की खाता सं. 172 पर दर्ज आराजी नम्बर 214 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि में वर्तमान में जगन्नाथ पिता मगनीराम के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज है तथा वादी सं. 1 को 1/12 हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 14:03:50 IST
Reason: SelfAttested

का एवं वादी सं. 2 से 10 को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.04.1984 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 14:03:50 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली

बईजलास मनसुख राम डामोर, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री शंकरलाल पिता वरदा जी जाति कुम्हार, आयु 56 वर्ष, निवासी बुढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्रीमती सोहनीबाई पत्नी स्व० श्री हीरालाल जी चौबीसा ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी ढूंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. लक्ष्मीलाल पिता स्व० श्री हीरालाल जी चौबीसा ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी ढूंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. मनोहरलाल पिता स्व० श्री हीरालाल जी चौबीसा ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी ढूंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. सुखलाल पिता स्व० श्री हीरालाल जी चौबीसा ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी ढूंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. रामलाल पिता स्व० श्री हीरालाल जी चौबीसा ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी ढूंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. श्यामलाल पिता स्व० श्री हीरालाल जी चौबीसा ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी ढूंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. पुरण पिता स्व० श्री हीरालाल जी चौबीसा ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी ढूँढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. चम्पाबाई पुत्री स्व० श्री हीरालाल जी पत्नी वेणीराम जी चौबीसा ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी ढूँढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. कमली पुत्री स्व० श्री हीरालाल जी पत्नी लक्ष्मीलाल जी चौबीसा ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी ढूंढिया, हाल हीता, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री जगनाथ पिता मगनीराम जी जाति कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी ढूंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री छोगालाल पिता स्व० वीरभाण जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी ढूंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्री चुन्नीलाल पिता स्व० वीरभाण जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी ढूंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. श्रीमती जेतीबाई पत्नी स्व० वीरभाण जी जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी ढूंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. पटवारी, पटवार हल्का ढूंढिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय सनवाड़, जिला उदयपुर (राज०)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 14:03:50 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 24/19 (वाद) GCMS No. – 2019/00047

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मनसुख राम डामोर, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि मौजा ढुंढिया पटवार हल्का ढुंढिया तह. मावली, जिला उदयपुर की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 की खाता सं. 172 पर दर्ज आराजी नम्बर 214 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि में वर्तमान में जगन्नाथ पिता मगनीराम के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज है के बजाय वादी सं. 1 को 1/12 हिस्से का एवं वादी सं. 2 से 10 को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.04.1984 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 02.08.2024 को जारी की गई।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 14:03:50 IST
Reason: SelfAttested